

## अन्य सेवा शर्तें :-

1. प्रारम्भिक चरण में संविदा के आधार पर यह अस्थायी नियोजन 06 माह के लिए किया जाएगा। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे आवश्यकतानुरूप इसका विस्तार किया जा सकेगा।
2. प्रशिक्षण कार्य पूर्ण होने पर अथवा संविदा की अवधि का विस्तार नहीं होने की स्थिति में संविदा पर किया गया यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि इस नियोजन से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे प्रशिक्षण विद्यालय के निदेशक को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की प्राप्त की जा रही परिलब्धि (उपर अंकित अनुमान्य मानदेय की राशि के अनुसार) निदेशक कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि संविदा अवधि के दौरान निदेशक को ऐसे कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो, या संविदा अवधि के दौरान कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर ऐसे कर्मि की सेवा निदेशक द्वारा एक माह के पूर्व लिखित सूचना या एक माह का उक्त निर्धारित एवं प्राप्त की जा रही राशि के बराबर एकमुश्त मासिक मानदेय देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। इसके विरुद्ध सम्बन्धित कर्मि किसी भी स्तर पर अपील नहीं कर सकेंगे।
4. नियोजन के दौरान सम्बन्धित व्यक्ति को अपना समय प्रशिक्षण विद्यालय के निदेशक द्वारा तैयार किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम या इससे सम्बन्धित कोई अन्य उत्तरदायित्व निर्वहन में देना होगा। ऐसा नहीं करने पर मासिक मानदेय की राशि में से समानुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।
5. आवेदक को उपर अंकित एवं अनुमान्य एकमुश्त मानदेय की राशि के अन्तर्गत ही यात्रा भत्ता, मकान भत्ता आदि सभी प्रकार की अनुमान्य भत्ते सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त अलग से और कोई राशि देय नहीं होगी, परन्तु प्रशिक्षण सम्बन्धी रूटीन कार्यों के अतिरिक्त निदेशक द्वारा सौंपे गये किसी विशेष कर्तव्य के निर्वहन में यात्रा करनी पड़े या जिसमें कोई अन्य व्यय सन्निहित हो, तो उसका वास्तविक व्यय का वहन प्रशिक्षण विद्यालय करेगा।
6. इस प्रकार एकमुश्त संविदा राशि पर नियोजित कर्मियों को अवकाश की देयता के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
7. नियोजन के समय सम्बन्धित व्यक्ति को विभाग द्वारा तैयार किए गए अनुबंध पत्र पर बिना शर्त हस्ताक्षर करना होगा।
8. चयन की प्रक्रिया में किसी भी विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
9. आवेदक का साक्षात्कार एवं योगदान के लिए भी किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. यह नियोजन किसी पद के विरुद्ध नहीं है तथा पूर्णतः अस्थायी है। यह मात्र नवनियुक्त वनरक्षियों के Intended प्रशिक्षण सम्बन्धी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये है। अतः इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवा में नियमित नियुक्ति या सेवा नियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठेगा और सम्बन्धित व्यक्ति इसके हकदार नहीं होंगे।
11. संस्थान (प्रशिक्षण विद्यालय) प्रधान द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण सम्बन्धी सौंपे गये अन्य कार्य को भी निशुल्क सम्पादित करना होगा एवं आवश्यकतानुसार एक से अधिक विषयों को पढ़ाना होगा।
12. आवेदन विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किया जायेगा, जो नीचे कंडिका-17 में दी गयी है।
13. आवेदन पत्र के साथ-साथ शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता, अनुभव प्रमाण-पत्र, सी0वी0 की स्वअभिप्रमाणित प्रति जमा करना होगा।
14. यह नियोजन दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होने की संभावना है।
15. किसी सेवारत पदाधिकारी/कर्मचारी को इस नियोजन हेतु पात्रता नहीं है।
16. आवेदन डाक से या व्यक्तिगत रूप से नियत कार्यालय में दिया जा सकता है परन्तु डाक द्वारा आवेदन देने पर विलम्ब की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत समझा जाएगा। अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवेदन का विहित प्रपत्र संलग्न है।
17. नियोजित व्यक्तियों पर यदि टी0डी0एस0 लागू होगा, तो मानदेय भुगतान के समय नियमानुसार कटौती की जाएगी।
18. इस नियोजन की उक्त शर्तों में परिवर्तन करने या इस विज्ञापन/कार्य को रद्द करने की शक्ति आवेदन आमंत्रित करनेवाले प्राधिकार के पास सुरक्षित है।
19. आवेदन विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किया जायेगा, जो नीचे संलग्न है।

ह0/-

वन संरक्षक,

सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा

-सह-निदेशक,

वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, चाईबासा।

APPLICATION FORM FOR TEMPORARY CONTRACTUAL EMPLOYMENT FOR SUBJECT MATTER-EXPERTS  
FOR TRAINING OF FOREST GUARDS.

Advertisement No :

Subject Applied for :-

Personal Details :

Name :-

Father's Name :-

Aadhar No. :-

Mobile Number :-

Gender :-

Date of Birth :

E-Mail ID :

Religion :

Nationality:

Paste your  
Recent  
Passport Size  
Photograph

Address of Communication :

Address :-

City :-

District :-

State :-

Pin Code :-

Educational Qualifications

Sl.No.	Qualification	Stream	Board/University	Institute	Passing Year
1	2	3	4	5	6

Training/Training Experience

Sl.No.	Training/Training Subject	Date wise period	Institute	Remarks
1	2	3	4	5

Experience (Teaching/P.T., as applicable).

Sl.No.	Employer	Institute	Designation	Responsibility Discharged (with short synopsis)
1	2	3	4	5

Date :-

Name :

Place :

signature :